



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
तहसील मुरादाबाद
आवेदन क्र० 201350030066480
प्रमाणपत्र क्र० 042203020182

जारी दिनांक: 15/12/2020

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु० ज्योति पाल
श्री गोविन्द सिंह
श्रीमती संतोष देवी
0, मंनपुरा
मंनपुरा
मुरादाबाद
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की खुरेरिया जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु० ज्योति पाल पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३०५० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, में आप्रदायित नहीं है। इनकी माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिए मजबूत वार्षिक आय आठ लाख रुपये या उससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहित छूट सीमा में अधिक सम्पत्ति नहीं है।



NITIN
TEWATIA
Digitally Signed by Nitin
TEWATIA
CHUP GOVERNMENT
REVENUE
CHUNK NITIN TEWATIA
S-UTTAR PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिविजन हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 15/12/2020

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिविजन सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं आवेदक द्वारा स्वयं की वेबसाइट पर जाकर इसका पता चले जावेगा कि यह प्रमाणपत्र क्र० 042203020182 अंकित कर, प्रमाणित किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पता चले जावेगा कि यह प्रमाणपत्र क्र० 042203020182 अंकित कर, प्रमाणित किया जा सकता है।